

अनुदान संख्या 2 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
GRANT No. 2 - DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत - Saving - |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| राजस्व: | Revenue: | | | |
| स्वीकृत - | Voted - | | | |
| मूल | Original | 4966,14,00 | | |
| | | 5016,19,00 | 4987,94,72 | -28,24,28 |
| पूरक | Supplementary | 50,05,00 | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | शून्य Nil |

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹2824.28 लाख) अगस्त, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹5005.00 लाख के पूरक अनुदानों का 56 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

1. In the grant, the overall savings (₹2824.28 lakhs) constituted 56 percent of the supplementary grants of ₹5005.00 lakhs obtained in August, 2011 and March, 2012 and 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

| | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|--|
| शीर्ष | Head | | | |
| मुख्य शीर्ष "2415" | Major Head "2415" | | | |
| कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | Agricultural Research and Education | | | |
| मू. | O. | 465477.00 | | |
| पू. | S. | 5003.00 | 501264.00 | 498452.64 |
| पु. | R. | 30784.00 | | -2811.36 |
| मुख्य शीर्ष "2552" | Major Head "2552" | | | |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्र | North Eastern Areas | | | |
| मू. | O. | 30800.00 | | |
| पू. | S. | 1.00 | 1.00 | .. |
| पु. | R. | -30800.00 | | -1.00 |

(I) ₹34806.00 लाख का प्रावधान (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹34700.50 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष “2415” -

(क) “मत्स्य पालन - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - मत्स्य पालन संस्थाएं, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹1000.00 लाख संशोधित अनुमानों के चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण थे।

(ख) “सामान्य - अन्य संस्थाओं को सहायता - केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड को सहायता अनुदान” - ₹3000.00 लाख संसद द्वारा संस्थान के संबद्ध बिलों का अनुमोदन न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” -

(क) “फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सहायता” -

(i) “फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹1000.00 लाख ;

(ii) “बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹1000.00 लाख;

(iii) “कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹7900.00 लाख;

(iv) “कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹3500.00 लाख;

(v) “बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं/स्कीमें - कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹500.00 लाख;

(ख) “मृदा एवं जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सहायता” -

(i) “कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹2000.00 लाख ;

(I) Provision of ₹34806.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) remained wholly unutilized under fourteen heads; of these ₹34700.50 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2415”-

(a) “Fisheries - Tribal Area Sub Plan - Fisheries Institutes, Research and Education Schemes”- ₹1000.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage.

(b) “General - Assistance to Other Institutions - Grants-in-Aid to Central Agricultural University, Bundelkhand”- ₹3000.00 lakhs - due to non-approval of connected bill of the Institution by the Parliament.

(B) Major Head “2552” :-

(a) “Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R.”-

(i) “Crop Science Institutes, Research and Education Schemes” - ₹1000.00 lakhs;

(ii) “Horticulture Institutes, Research and Education Schemes”- ₹1000.00 lakhs;

(iii) “Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes”- ₹7900.00 lakhs;

(iv) “Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes”- ₹3500.00 lakhs;

(v) “Externally Aided Projects/Schemes - Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes”- ₹500.00 lakhs;

(b) “Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R.” -

(i) “Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro - Forestry Research and Education Schemes”- ₹2000.00 lakhs;

(ii) “जलवायु अनुकूल कृषि पहल” - ₹2000.50 लाख;
(₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ग) “पशु पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता
- डेरी अनुसंधान संस्थान और स्कीमों सहित पशु विज्ञान
संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹2000.00
लाख ; और

(घ) “सामान्य - (कृषि अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें) - केन्द्रीय
कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सामान्य सहायता अनुदान”
- ₹10800.00 लाख।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और
सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के
लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के
कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2415” - “फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि
अनुसंधान परिषद को सहायता - कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और
शिक्षा स्कीमें” के अंतर्गत ₹73554.00 लाख के मूल प्रावधान को
₹5000.10 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹78554.10
लाख कर दिया गया था, जो तथापि, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के
कर्मचारियों को छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग के बकायों की अदायगियां न
किए जाने की वजह से संशोधित अनुमानों के चरण पर प्रावधान में
कटौती किए जाने के कारण ₹2691.10 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त
रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “2415” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों
के अंतर्गत हुईं:-

(का) “फसल कृषि कर्म”-

(क) “भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता” -

(i) “फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें”
- ₹1132.40 लाख की बचत (₹0.40 लाख के सांकेतिक
पूरक अनुदान सहित ₹98120.40 लाख के कुल स्वीकृत
प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमानों के चरण पर
प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) “Climate Resilient Agriculture Initiative” –
₹2000.50 lakhs (including token
supplementary grant of ₹0.50 lakh);

(c) “Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R.
- Animal Science Institutes, Research and
Education Schemes including Dairy Research
Institutes and Schemes”- ₹2000.00 lakhs; and

(d) “General - (Agricultural Research and
Education Schemes) - Grants-in-aid - General
to Central Agricultural University, Imphal”-
₹10800.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads
remained unutilized due to re-appropriation of funds to
functional heads for utilisation on projects/schemes for
the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head “2415” - “Crop Husbandry
- Assistance to I.C.A.R. - Agricultural Education
Institutes, Research and Education Schemes” - the
original provision of ₹73554.00 lakhs was augmented
to ₹78554.10 lakhs by obtaining supplementary grant
of ₹5000.10 lakhs which, however, remained unutilised
to the extent of ₹2691.10 lakhs - due to reduction of
provision at revised estimates stage owing to non-
payment of arrears of Sixth Central Pay Commission
to the staff of State Agricultural Universities.

(III) Under Major Head “2415” - savings occurred
under the following heads :-

(A) “Crop Husbandry” -

(a) “Assistance to I.C.A.R.”-

(i) “Crop Science Institutes, Research and
Education Schemes” - saving of ₹1132.40
lakhs (against the total sanctioned provision
of ₹98120.40 lakhs including token
supplementary grant of ₹0.40 lakh) was due
to reduction of provision at revised
estimates stage.

- (ii) “कृषि बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड और सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन” - ₹5240.00 लाख की बचत (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹30876.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत बहुत से घटकों के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (iii) “कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीम” - ₹754.10 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित (₹4200.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (iv) “कृषि इंजीनियरी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीम” - ₹470.10 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹14640.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- (v) “राष्ट्रीय कृषि नवप्रवर्तन परियोजनाएं/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं/स्कीम” - ₹970.00 लाख की बचत (₹15600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय कृषि नवप्रवर्तन परियोजना की विभिन्न उप परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (vi) “राष्ट्रीय जैव प्रभाव प्रबंधन संस्थान” - ₹1999.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (vii) “भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान” - ₹2999.00 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- (ii) “ICAR Headquarter Administration including Agricultural Scientists Recruitment Board and Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management”- saving of ₹5240.20 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹30876.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh) was due to non-finalisation of proposal for a number of components under the scheme.
- (iii) “Agricultural Economics and Statistics Institutes, Research and Education Schemes”- saving of ₹754.10 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4200.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh); and
- (iv) “Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes”- saving of ₹470.10 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14640.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन विलम्ब से दिए जाने के कारण हुईं।

(ख) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹1375.00 लाख की बचत (₹2580.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत विभिन्न प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) “मृदा एवं जल संरक्षण - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹825.00 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत विभिन्न उप परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) “पशुपालन - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - डेरी अनुसंधान संस्थान और स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹975.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत विभिन्न उप परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹52.68 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 53 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹41501.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2415” के अंतर्गत ₹1.90 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) “फसल कृषि कर्म” -

(क) “भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता” -

(i) “बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹2423.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2422.80 लाख था।

Savings under the above two heads were due to delay in approval by the Expenditure Finance Committee.

(b) “Tribal Area Sub Plan - Crop Science Institutes, Research and Education schemes”- saving of ₹1375.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2580.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals under the scheme.

(B) “Soil and Water Conservation - Tribal Area Sub Plan - Other Natural Resource Management Institutes Research and Education Scheme including Agro-Forestry Research and Education Schemes”- saving of ₹825.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for various sub projects under the scheme.

(C) “Animal Husbandry - Tribal Area sub-plan - Animal Science Institutes, Research and Education schemes including Dairy Research Institutes and Schemes”- saving of ₹975.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for various sub-projects under the scheme.

(IV) Under one head saving of ₹52.68 lakhs occurred constituting 53 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹41501.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by reappropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹1.90 lakhs under Major Head “2415” - under the following heads:-

(A) “Crop husbandry” -

(a) “Assistance to I.C.A.R.” -

(i) “Horticulture Institutes, Research and Education schemes” - ₹2423.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2422.80 lakhs.

- (ii) “कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹15647.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹15604.90 लाख था।
- (iii) “कृषि में आधारभूत, रणनीतिक और सीमांत अनुप्रयोग अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय निधि” - ₹1800.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1799.70 लाख था।
- (ख) “जनजाति क्षेत्र उप योजना - राष्ट्रीय कृषि नवप्रवर्तन परियोजना/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना” - ₹1470.00 लाख।
- (खा) “मृदा एवं जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सहायता” -
- (क) “कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹9213.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹9212.60 लाख था।
- (ख) “जलवायु अनुकूल कृषि पहल” - ₹200.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹200.00 लाख था।
- (गा) “पशुपालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सहायता - डेरी अनुसंधान संस्थान और स्कीमों सहित कृषि विज्ञान संस्थान अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹6805.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6804.50 लाख था।
- (घा) “मत्स्य पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सहायता - मत्स्य पालन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹3942.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3941.60 लाख था।
- (II) बचतें मुख्य शीर्ष “2415” - “सामान्य - अन्य संस्थानों को सहायता - केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई - ₹10000.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।
- (ii) “Agricultural Extension Institutes, Research and Education schemes” - ₹15647.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹15604.90 lakhs.
- (iii) “National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture” - ₹1800.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1799.70 lakhs.
- (b) “Tribal Area Sub-Plan - National Agricultural Innovation Project/Externally Aided Project” - ₹1470.00 lakhs.
- (B) “Soil and Water Conservation- Assistance to I.C.A.R.” -
- (a) “Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Schemes” - ₹9213.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹9212.60 lakhs.
- (b) “Climate Resilient Agriculture Initiative” - ₹200.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹200.00 lakhs.
- (C) “Animal Husbandry – Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes” - ₹6805.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹6804.50 lakhs.
- (D) “Fisheries – Assistance to I.C.A.R - Fisheries Institutes, Research and Education schemes” - ₹3942.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹3941.60 lakhs.
- (II) Savings were also offset by excess under Major Head “2415” - “General - Assistance to Other Institutions - Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal” - excess of ₹10000.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.